वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बहुउद्देशीय भवन

चर्चा में क्यों?

बिहार सरकार सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के **तहत पंजीकृत संपत्तियों को विकसित करने** के लिये **बहुउद्देशीय भवन**, विवाह भवन, मार्केट कॉम्प्लेक्स तथा अन्य संरचनाओं के निर्माण की तैयारी कर रही है।

मुख्य बिंदु

- **वर्ष 2023-24** में **पटना, पूर्णिया, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, नवादा और सीवान** में बहुउद्देश्यीय भवनों, बाज़ार परिसरों तथा पुस्तकालयों के निर्माण के लिये **दस परियोजनाएँ प्रस्तावित की गई थीं।**
- बिहार राज्य मदरसा सुधारीकरण योजना (BRMSY) के तहत राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 21 नए मदरसे स्थापित करने का भी निर्णय लिया है।
  - मदरसा बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिये **पेयजल, पुस्तकालय, उपकरण, शौचालय और कंप्यूटर विज्ञान प्रयोगशाला** जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

वक्फ बोर्ड (Waqf Board)

- वक्फ बोर्ड **एक कानूनी इकाई** है जो **संपत्ति अर्जित करने, उसे रखने और हस्तांतरित करने में सक्षम है। यह मुकदमा करने एवं न्यायालय में मुकदमा किये जाने दोनों में सक्षम है।**
- यह वक्फ संपत्तियों का **प्रबंधन** करता है, खोई हुई संपत्तियों को **वापस प्राप्त** करता है और बिक्री, उपहार, बंधक ऋण या गिरवी कर्ज़, विनिमय या पट्टे के माध्यम से अचल वक्फ संपत्तियों के हस्तांतरण को मंज़ूरी देता है, जिसमें बोर्ड के कम-से-कम दो तिहाई सदस्य लेन-देन के पक्ष में मतदान करते हैं
- **वर्ष 1964** में स्थापित केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC) पूरे भारत में राज्य स्तरीय वक्फ बोर्डों की देख-रेख के साथ ही सलाह भी देती है।
- **वक्फ संपत्तियाँ:** वक्फ बोर्ड को भारत में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद **तीसरा सबसे बड़ा भूमिधारक** कहा जाता है।
  - वर्तमान में 8 लाख एकड़ में विस्तृत 8,72,292 पंजीकृत वक्फ संपत्तियाँ हैं। इन संपत्तियों से 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है।
  - एक बार जब किसी संपत्ति को **वक्फ घोषित** कर दिया जाता है तो वह **अहस्तांतरणीय** हो जाती है और ईश्वर के प्रति एक धर्मार्थ कार्य के रूप में **स्थायी रूप से सुरक्षित** रहती है, जो अनिवार्य रूप से ईश्वर को स्वामित्व हस्तांतरित कर देती है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/multipurpose-buildings-on-waqf-board-land